न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0..से...

जिला–खगड़िया....................................,सा0...,सन्..............................

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष करने के संबंध में। वाद संख्याः– 13 / 2017 राज्य बनाम महेशखूँट थाना कांड संख्याः–162 / 2017

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–सहित 3.
11.04.2018	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत महेशखूँट थाना में दर्ज कांड संख्या–162 / 2017, दिनांक 21.11.2017 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1379 / हि0शा0, दिनांक 31.03.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, महेशखूँट का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 750 एम0एल0 का 18 (अट्ठारह) एवं 375 एम0एल0 का 61 (इकसठ) बोतल विदेशी शराब में से 750 एम0एल0 का 1 (एक) बोतल एवं 375 एम0एल0 का 1 (एक) बोतल विदेशी शराब माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक, बिहार पटना को भेजा गया है, तथा शेष 750 एम0एल0 का 17 बोतल एवं 375 एम0एल0 का 60 (साठ) बोतल विदेशी शराबं महेशखूँट थाना के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव / प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महेशखूँट थाने के मालखाना में रखी गई 750 एम0एल0 का 17 (सत्रह) बोतल एवं 375 एम0एल0 का 60 (साठ) बोतल विदेशी शराब, कुल–35.25 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना महेशखूँट कांड संख्या–162 / 2017 के आधार पर जप्त की गई कुल–35.25 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया / थानाध्यक्ष, महेशखूँट / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 1162 / विधि, दिनांक 12/04/2018 प्रतिलिपिः–उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया / थानाध्यक्ष, महेशखूँट को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के बेवसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।	